कार्यालय जन सम्पर्क अधिकारी
Office of the Public Relations Officer
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर-302055
University of Rajasthan, Jaipur, 302055
NAAC Accredited A+ University (2004-2009)

Ph.(O) : 0141-2708614
(R) : 0141-2709181
Fax : 0141-2708614
Mobile : 094133-43291
E-mail: pro@uniraj.ernet.in

क्रमांक :
No.

दिनांक
Dated

श्रीमान सम्पादक महोदय
राजस्थान पत्रिका
जयपुर

विषयः राजस्थान पत्रिका में दिनांक 16–11–2018 को प्रकाशित समाचार "राजस्थान विश्वविद्यालयः कुलपति व रजिस्ट्रार हुए आमने–सामने : सेवानिवृत्त निजी सचिव को हटाया तो कुलपति ने रजिस्ट्रार से अधिकार छीने", के संदर्भ में।

महोदय,

आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के 16 नवम्बर 2018 के अंक में राजस्थान विश्वविद्यालय के संबंध में "सेवानिवृत्त निजी सचिव को हटाया तो कुलपति ने रजिस्ट्रार से अधिकार छीने" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संबंध में माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार निम्न वास्तविक तथ्य आपके अवलोकनार्थ आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित है:–

(1) इस समाचार में कहा गया है कि 'कुलपति ने रजिस्ट्रार से अधिकार लेने ओर सारी फाईलें अपने ही साइन से जारी करने का आदेश भी निकाल दिया है ।'

इस संबंध में तथ्यात्मक लेख है कि इस प्रकार का कोई भी आदेश कुलपतिजी की ओर से जारी नहीं किया गया है । कुलपतिजी द्वारा कुलसचिव को निर्देशित किया गया है कि राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान विश्वविद्यालय एक्ट के अनुसार कुलपति विश्वविद्यालय का सर्वोच्च अकादमिक एवं कार्यकारी अधिकारी होता है । अतः विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले आदेश कुलपतिजी के आदेश या अनुमति उपरान्त ही कुलसचिव द्वारा जारी किये जावें । अभी तक विश्वविद्यालय में विधान के अनुसार यही परम्परा व्यवहार में रही है ।

(2) इस समाचार में कहा गया है कि 'एसीबी के एक परिवाद का हवाला देते हुए रजिस्ट्रार ने कुलपति के सेवानिवृत्त निजी सचिव को हटा दिया है।'

इस संबंध में तथ्यात्मक लेख है कि कुलपति के सेवानिवृत्त निजी सचिव के विरूद्ध एसीबी में किसी भी प्रकार का परिवाद लम्बित नहीं है । किसी कि शिकायत के आधार पर रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रकार का निर्णय कुलपति की अनुमति के बिना लिया जाना उचित नहीं है ।

(3) उक्त समाचार में कहा गया है कि 'आदेश के अनुसार कोई भी आदेश रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से जारी नहीं होंगे बल्कि सभी फाईले कुलपति तक जायेगी व वे ही आदेश जारी करेंगे।'

यह समाचार भी भ्रामक है ऐसा कोई भी आदेश कुलपतिजी ने नहीं दिया है। नियमानुसार कुलपतिजी के आदेश या अनुमति के आधार पर सभी आदेश रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से ही जारी किये जाते हैं ।

वास्तविक तथ्यों के विपरीत प्रकाशित समाचार से अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा हुई है अतः निवेदन है कि उक्त वास्तविक तथ्यों के आधार पर वास्तविक स्थिति आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के अगले अंक में प्रकाशित करवावे जिससे अनावश्यक भ्रम की स्थिति समाप्त हो सके।

सादर

भवदीय,

जनसम्पर्क अधिकारी